

राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : पं.8(1) विधि-2/विरस (57)/2017/573 दिनांक : 28.08.2017

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:-अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत को सर्किट हाउसों में आवस/
भोजनादि की सुविधा के सम्बंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग ने अशा.टीप संख्या प. सं.प.1(9)
साप्र/ग्रुप-5/2014 दिनांक 17.08.2017 द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया है:-

"अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत के पद पर सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र
न्यायाधीश के अधिकारी की नियुक्ति होने के कारण सर्किट हाउस
मैनुअल-2017 के अनुसार ग्रुप-सी/राजकीय कटेगरी (अ) (III)
की दर पर राजकीय कार्य से यात्रा पर एक बार में 7 दिन तथा माह
विशेष में 10 दिवस (राजकीय आवास धारक, मुख्यालय होने एवं
स्थानीय निवासी को सुविधा देय नहीं है।) आवास हेतु पात्रता है।"

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

Omatti

(हरी ओम शर्मा 'अत्री')
विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(वि.र.सं)

not Urgent
DS I do needful

G
29/17

834
29.8.17



RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
RAJASTHAN HIGH COURT CAMPUS, JAIPUR BENCH, JAIPUR.
(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX)
Email: rlsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in

No. F-2 (135)/RSLSA/DS-I/PLA /2017/17615-17699

Date: -29.08.2017

The copy of this order is being sent for kind perusal and consideration to the following:-

1. Chairman, District Legal Services Authorities, All Rajasthan.
2. Chairman, Permanent Lok Adalat, All Rajasthan.
3. Full Time Secretary, DLSA, All Rajasthan, with a direction to provide the copy of this letter to Chairman, P.L.A. of your District.
4. Manager, Circuit House, All Rajasthan.
5. Manager, Rajasthan House, New Delhi.

With regards,

Yours Sincerely

(S.K. Jain)


Member Secretary
Rajasthan State Legal Service Authority,
Jaipur

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-5)विभाग

25/554/URS/12
21-8-17

विषय:- अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत को सर्किट हाउसों में आवास/ भोजनादि की सुविधा के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार अनुरोध है कि अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत के पद पर सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के अधिकारी की नियुक्ति होने के कारण सर्किट हाउस मैनुअल-2017 के अनुसार ग्रुप-सी/राजकीय केंटेगरी (अ) (111) की दर पर राजकीय कार्य से यात्रा पर एक बार में 7 दिन तथा माह विशेष में 10 दिवस (राजकीय आवास धारक, मुख्यालय होने एवं स्थानीय निवासी को सुविधा देय नहीं हैं) आवास हेतु पात्रता है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(गौरव बजाड़)
उप शासन सचिव(ए)

प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य (ग्रुप:-2) विभाग

अशा0टीप सं.प. 1(9)साप्र/ग्रुप-5/2014
जयपुर, दिनांक 17.08.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग की आई डी सं0 354, दिनांक 04.08.2017 के क्रम में।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव, की आई. डी. सं 4388 दिनांक 01.08.2017 के क्रम में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की आई डी सं0 3376, दिनांक 04.08.2017 के क्रम में।

६०
उप शासन सचिव(ए)